फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

रामस्वरूप बनाम सरकार वगै0

सं0 :- 79 / 2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
16.01.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश मे विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मे अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 264 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 217 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा ग्राम नेवर में स्थित है। एवं खसरा नम्बर 238 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा प्रार्थी की खातेदारी भूमि 217 व 264 के मध्य स्थित है। गत सेटलमेंट में भूमि साबिका खसरा नम्बर 771 किस्म गै0मु0नला के नवीन खसरा नम्बर 238 किस्म गै0मु0रास्ता, साबिका खसरा नम्बर 757, 756, 758, 759 के नवीन खसरा नम्बर 217 साबिका खसरा नम्बर 795 के नवीन खसरा नम्बर 264 बनाये गये है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 757, 756, 758, 759, 795 के नवीन खसरा नम्बर 217, 264, पर पूर्व नक्शा अनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थी की उक्त भूमि के मध्य में साबिक खसरा नम्बर 771 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा गै0मु0रास्ता अंकित कर दिया गया है। प्रार्थी के नवीन खसरा नम्बर 217, 264 के मध्य नक्शे में किसी प्रकार का कोई गै0मु0रास्ता स्थित नही है। परन्तु वास्तविकता के परे खसरा नम्बर 236 गै0मु0रास्ता अंकित कर दर्शाया है। नक्शें में नवीन खसरा नम्बर 217, 264 के मध्य गै0मु0रास्ता खसरा नम्बर 238 अवैध रूप से अंकित कर दिया गया है जो मौके पर कोई रास्ता नही है। जो मौका स्थिति एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुरूप नही है। नवीन खसरा नम्बर 217, 264 मौके पर कृषि भूमि है एवं खसरा नम्बर 238 गै0मु0नला है तथा राजस्व कर्मचारियों ने अवैध रूप से खसरा नम्बर 217, 264 के मध्य खसरा नम्बर 238 को गै0मु0रास्ता अवैध रूप से रकबा बडा कर अंकन कर दिया जबकि मौके पर उक्त खसरा नम्बर 238 गै0मु0नला है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का पूर्वाधिकार कब्जा काश्त है। अतः ग्राम नेवर के गत खसरा नम्बर 757, 756, 758, 759, 795 के नवीन खसरा नम्बर 217, 217 का पूर्वानुसार अंकन करते हुए पूर्व से चले आ रहे कब्जे काश्त एवं गत नक्शें अनुसार तरमीम दुरूस्त कर नक्शा कायम किया जावें एवं गत खसरा नम्बर 771 गै0मु0नला को नवीन खसरा नम्बर 238 किस्म गै0मु0रास्ता की किस्म पूर्वानुसार गै0मु0नला अंकित कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी दुरूस्त की जावें। पैरोकार सरकार (तहसीलदार) ने अपने जवाव में अंकित तथ्यों को ताईन्द करते हुए निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व जमाबन्दी (आनलाईन) के खसरा नम्बर 217 रकबा 4.5648है0 किस्म बंजड 2, खसरा नम्बर 264 रकबा 1.150है0 किस्म बंजड 1 वादी की सहखातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 238 के साबिक नम्बर 771 है। मुताबिक सेटलमेंट खतौनी 2008 के खसरा नम्बर 238 के साबिक खसरा नम्बर 771 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा किस्म गै0मु0नला दर्ज है। मुताबिक एकीकरण जमाबन्दी संवत 2018 खसरा नम्बर 238 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा किस्म गै0मु0दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2055—58 में खसरा नम्बर 238 किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज है। हाल जमाबन्दी सेग्रीगेशन ऑनलाईन में खसरा नम्बर 238 किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज है। मौके पर कच्चा रास्ता है जो कि नक्शें से मिलान करने पर वादीगणकी	उपखण्ड अधिकारी

सहखातेदारी भूमि 264 में होकर है।

अतः वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन पर पर पाया कि प्रकरण में अंकित खसरा नम्बर 238 किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज रिकार्ड है। जो मौके पर कच्चा रास्ता बना हुआ है तथा पत्रावली में उपलब्ध सरपंच ग्राम पंचायत नेवर के पत्रानुसार उक्त रास्ता मौके पर चालू है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर दाखिल हों।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]